न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 62/2018

1. जगदीश प्रसाद (मृतक)

1/1 विजय सिंह
1/2 ओमप्रकाश
1/3 किशनसिह
1/4 किन्नी पत्नी

पुत्रान (1/1–1/3) — स्व0 जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

1. बन्द्रीप्रसाद पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

.......रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 04.09.2017 तहसीलदार बयाना। नामान्तरकण संख्या 603 दिनांक 25.09.2017 बाकै ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना।

उपस्थित :– 1–श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टान
2–राजकीय अभिभाष

अपील संख्या 79/2018

1. जगदीश प्रसाद (मृतक)

1/1 विजय सिंह
1/2 ओमप्रकाश
1/3 किशनसिह
1/4 किन्नी पत्नी

पुत्रान (1/1–1/3) — स्व0 जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासी नयावास ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आपत्तियां आमंत्रित करके निर्णित किया है। प्रस्तुत गोदनामें पर गिर्राजी धर्मपत्नी रामजीलाल के भी अंगूठा निशानी है। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है तो यह सही है कि निर्णय दिनांक 04.09.2017 में अंकित बन्द्रीप्रसाद को रामजीलाल का वारिस घोषित करना तहसीलदार बयाना के क्षेत्राधिकार से परे जाकर है। केवल माननीय सिविल न्यायालय को ही वारिस के सम्बन्ध में उदघोषणा का अधिकार है, परन्तु गोदनामें के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार द्वारा गोदनामें को वैद्य घोषित करने के सम्बन्ध में कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 603 व 853 तहसीलदार बयाना के उक्त निर्णय के आधार पर ही किया गया है। जहां तक गोदनामें के फर्जकारी से बनाये होने का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा इस बाबत कोई मुकदमा दर्ज कराया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तुः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बयाना की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)